कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 हमीरपुर

पंत्राक:– 99 / C-1

दिनांक:– 18/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग,
हमीरपुर।

विषय:– जनपद हमीरपुर में बिलरायां–पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– शासन का पत्रांक–पी–135/81–2–2019–800(02)/2020 दिनांक 16 जनवरी, 2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना की स्वीकृति चैनेज 398.000 से 427.000 तक है। परन्तु वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव चैनेज 399.600 से 427.000 तक भेजा गया है, क्योंकि उक्त भाग में 700 मीटर (दो लेन) लम्बा पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग है। जिसकी कुल लम्बाई 1600 मीटर है।

अतः जब तक दो लेन का दूसरा पुल निर्मित नहीं हो जाता है, तब तक उक्त भाग में चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए चैनेज 398.000 से 399.600 लम्बाई 1600 मीटर को उक्त भाग में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:– 1. लाइन डायग्राम।
2. तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति।

अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
हमीरपुर

मार्ग का नामः– जनपद हमीरपुर में बिलरायां–पनवाड़ी मार्ग (SH-21) के चैनेज 398.000 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

वर्तमान पुल एवं एप्रोच

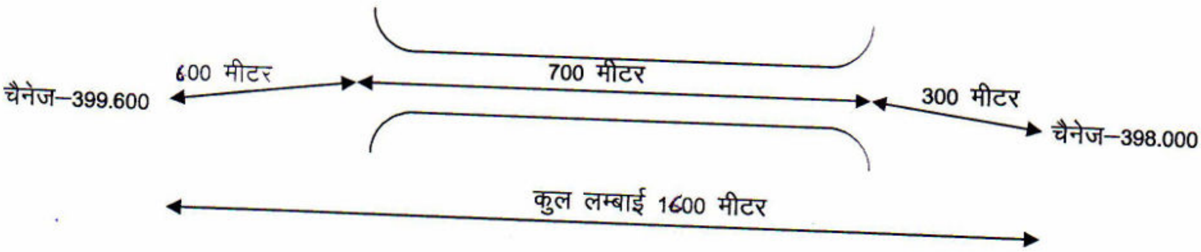

भविष्य में प्रस्तावित पुल एवं एप्रोच

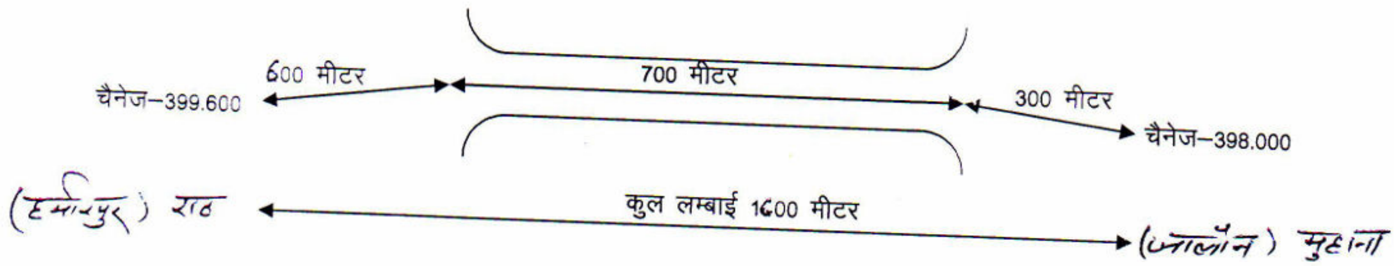

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0
हमीरपुर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0
हमीरपुर

अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0
हमीरपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
चित्रकूटधाम (बाँदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बाँदा

पत्रांक :- 2960/ 10 याता०-बाँ०क्षे०/18

दिनांक :- 22/12/2018

कार्यालय-ज्ञाप

निम्नलिखित आगणन की प्राविधिक स्वीकृति उसके सामने अंकित धनराशि के लिये एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	कार्य का नाम/विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक	लेखा शीर्षक
1	2	3	4
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अर्न्तगत बिलराया पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग- 21) के चैनेज 398.000 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (स्वी0 लम्बाई 28.30 किमी एवं स्वी0 लागत रू0 12062.89 लाख)	शा0सं0-170/2018/56(1)/23-11-18-1/2(68)/2018 दि0 06.09.18 (स्वी0 लम्बाई 28.30 किमी एवं स्वी0 लागत रू0 12062.89 लाख)	अनुदान सं0 58 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूजींगत परिव्यय- 03-राज्य राज मार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था - 0306-राज्य राज मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789 -अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

प्राविधिक स्वीकृति की लम्बाई (किमी0)	प्राविधक स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्राविधिक स्वीकृति रजिस्टर की संख्या
5	6	7
28.300 किमी0	रू0 12062.89 लाख (रूपया एक अरब बीस करोड़ वासठ लाख नवासी हजार मात्र)	44 -बाँ0क्षे0-राज्य योजना/नि0ख0-2, हमीरपुर/18-19 dt 22-12-2018

प्राविधिक स्वीकृति उपरान्त आगणन की प्रति संलग्नकर तकनीकी नोट सहित भेजी जा रही है।

संलग्न :- **आगणन एक प्रति में।**

(एस०के० सुल्तानिया)
मुख्य अभियन्ता
चि.धा.(बाँदा) क्षेत्र, लो.नि.वि., बाँदा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अधीक्षण अभियन्ता, बाँदा वृत्त, लो0नि0वि0, बाँदा के पत्रांक 7321(1)/8सी-बां.वृ./18 दिनांक 22.12.18 के क्रम में आगणन की एक प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- आगणन की एक प्रति।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।

4- अवर अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, बांदा क्षेत्र, लो0नि0वि0, बांदा।

मुख्य अभियन्ता
चि.धा.(बाँदा) क्षेत्र, लो.नि.वि., बाँदा
22.12.18

संख्या–पी–135 / 81–2–12019–800(02) / 2020

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी, 2020

विषय– जनपद हमीरपुर में बिलराया–पनवाडी मार्ग (एस0एच0–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–1277 / 11–एफपी / रोड / 41235 / 2019, दिनांक 27–12–2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हमीरपुर में बिलराया–पनवाडी मार्ग (एस0एच0–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उल्लिखित मार्ग "बिलराया पनवाड़ी मार्ग" का चौड़ीकरण शेष भाग में नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट करें।

3– यह भी स्पष्ट जाय कि परियोजना की स्वीकृति मार्ग चैनेज 398.600 से 427.000 तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग किमी0 399.600 से 427.00 में अंतर क्यों है?

अतःकृपया उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1421 / 11–सी– FP/UP/Road/41235/2019, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 16 ,2020

प्रतिलिपि– ~~वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन~~ द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का विन्दुवार निराकण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख संरतुति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का विन्दुवार निराकण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/1

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।